

राज्य मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मोहर जिला सिविल कोर्ट
अमर सिंह
रामकरन राठौर

11/02/17

नेशनल मेगा लोक अदालत दिनांक 11.02.17 में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त अमरसिंह व रामकरन सहित एवं सेवाराम द्वारा अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर।

फरियादी दशरथ स्वयं उपस्थित।

फरियादी दशरथ की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री राघवेन्द्रसिंह तोमर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भाग दो भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है।

दशरथ

अमर सिंह
रामकरन राठौर

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer


Signature of
Pleader
necessary

जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधामत्र
भारमुक्त किए जाते हैं।


प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।


प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।



सदस्य



सदस्य



पीठासीन अधिकारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
लोकत जिला मिण्ड पाण